यह निरीक्षण प्रतिवेदन **कार्यालय डिप्टी कमिश्नर (क0नि0)-III, राज्य कर, रूडकी** द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार किया गया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी किसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लिए कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

कार्यालय डिप्टी कमिश्नर (क0नि0)-III, राज्य कर, रूडकी के माह 04/2017 से 03/2018 तक के लेखा अभिलेखों पर निरीक्षण प्रतिवेदन जो श्री नीरज कुमार एवं श्री सिराज हुसैन सहायक लेखापरीक्षा अधिकारियों द्वारा दिनांक 08.06.2018 से 22.06.2018 तक श्री एन.के. सिन्हा, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित किया गया।

भाग-I

1. **परिचयात्मकः** इस इकाई की विगत लेखापरीक्षा श्री नीरज कुमार एवं श्री सिराज हुसैन, सहायक लेखापरीक्षक अधिकारियों द्वारा दिनांक 22.08.2017 से 30.08.2017 तक श्री एन.के.सिन्हा वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित की गयी थी। जिसमें राजस्व हेतु माह 10/2015 से 03/2017 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी थी। वर्तमान लेखापरीक्षा मे राजस्व हेतु माह 04/2017 से 03/2018 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी।

2.(i) **इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्रः**

(ii) (अ) **राजस्व विवरण**:

विगत तीन वर्षो मे कार्यालय द्वारा अर्जित राजस्व का ब्यौरा निम्नवत् है

वर्ष	**अर्जित राजस्व (₹ लाख में)**
2015-16	8766.18
2016-17	9603.68
2017-18	5575.00

(II) (ब) बजट का विवरणः-विगत तीन वर्षों में बजट आबंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत हैः

वर्ष	आवंटित बजट राशि (₹)	व्यय राशि (₹)	अवशेष/समर्पण (₹)
2015-16			
2016-17	लागू नहीं है।		
2017-18			

(स) केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त निधि एवं व्यय विवरण निम्नवत हैः

वर्ष	योजना का नाम	प्रारम्भिक अवशेष `	प्राप्त `	व्यय अधिक्य (+) `	बचत (-) `
लागू नहीं					

(iii) **इकाई को बजट आवंटन** इकाई द्वारा आहरण वितरण का कार्य नहीं किया जाता है। गैर स्थापना व्यय को सम्मिलित न करते हुए इकाई .....A.. श्रेणी की है।

(iv) **विभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत हैः**

सचिव- आयुक्त कर- एडिशनल कमिश्नर- ज्वाइन्ट कमिश्नर- डिप्टी- सहायक आयुक्त- माल एवं सेवा कर अधिकारी

(V) लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा विधिः लेखापरीक्षा में **निर्माता, ट्रेर्डस** को आच्छादित किया गया। यह निरीक्षण प्रतिवेदन **कार्यालय डिप्टी कमिश्नर (क0नि0)-III, राज्य कर, रूडकी** की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है।

(Vi) विस्तृत जांच हेतु माह का चयन :

राजस्व: **------- को विस्तृत जांच (राजस्व प्राप्ति) हेतु चयनित किया गया।**

(vii) योजना का चयन :- शून्य

(Viii) लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्ते) अधिनियम, 1971 (डी पी सी एक्ट, 1971) की धारा 16 एंव लेखा तथा लेखापरीक्षा विनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

भाग – 2 (ब)

प्रस्तर –01 कर का न्यूनारोपन ` 535.36लाख|

उत्तराखंड मूल्यवर्धित कर अधिनियम 2005 की धारा 4(2)(b)(i)(d) के प्रावधानों के अंतर्गत किसी भी अनुसुची में सम्मिलित माल से भिन माल की बिक्री पर करदेयता 13.5% की दर से निर्धारित की गयी थी|

कार्यालय डिप्टी कमिश्नर (क०नि०) –III राज्य कर, रुड़की के अभिलेखों की नमूना लेखापरीक्षा जांच में पाया गया कि व्यापारी सर्वश्री एलुकोपैनल इंडस्ट्रीज, भगवानपुर, रुड़की टिन न. 05008350949 कर निर्धारण वर्ष 2012-13 में ` 3,74,34,739/- की एल्युमीनियम कम्पोजिट पैनल शीट तथा ` 4,15,902/- की एल्युमीनियम स्क्रेपे की बिक्री क्रमशः 4.5% तथा 5% की दर से की गयी थी तथा कर निर्धारण वर्ष 2013-14 में ` 59,17,06,419/- की एल्युमीनियम कम्पोजिट पैनल की बिक्री 5% की दर से की गयी थी| जबकि उक्त वस्तुऐ उत्तराखंड मूल्यवर्धित कर अधिनियम 2005 की किसी भी अनुसूची से आछादित नहीं थी| साथ ही Alluminium Composite panel न तो पूरी तरह Metal है, न ही पूरी तरह non-metal है | यह metal एवं non-metal (Plastic) का सयोंजन(Combination) है| जिसमे की दो alluminium sheet (coil) के बीच में LDPE/HDPE Plastic Sheet(नॉन-टॉक्सिक पॉलिथीन कोर) को adhesive material के द्वारा दोनों साइड से चिपकाया (affixed) जाता है| इसे बेहतर दिखाने के लिए इस पर primer लगाने के बाद कलर कोटिंग की जाती है|

इस प्रकार कर निर्धारण वर्ष 2012-13 में `32,40,893/- का तथा वर्ष 2013-14 में ` 5,02,95,046/- का अतिरिक्त कर आरोपणीय था (सूची संलग्न है) साथ ही नियमानुसार ब्याज भी आरोपणीय था|

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर विभाग द्वारा जांचोपरांत कार्यवाही का आश्वासन दिया गया जिसकी सम्प्रेक्षा में प्रतीक्षा रहेगी|

अत: प्रकरण शासन / विभाग को सुधारात्मक कार्यवाही हेतु संज्ञान में लाया गया| जिसकी लेखापरीक्षा में प्रतीक्षा रहेगी|

संलग्न सूची

वर्ष 2012-13

क्रं सं	वस्तु का नाम	धारा	बिक्री की धनराशि	आरोपित कर की दर	आरोपित कर	अन्तरीय कर की दर (%)	आरोपणीय राशि (रू में)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	एल्युमिनियम कम्पोजिट पैनल	25(7)	43,01,878/-	4.5%	1,93,585	13.5-4.5=9%	3,87,169/-
		25(7)	1,70,62,657/-	5%	8,53,133	13.5-5=8.5%	14,50,326/-
		9(2)	1,07,41,753/-	5%	5,37,088	13.5-5=8.5%	9,13,049/-
2.	एल्युमिनियम स्क्रेपे	9(2)	4,15,902/-	4.5%	18,716	13.5-4.5=9%	37,431/-
		9(2)	53,28,451/-	5%	2,66,423	13.5-5=8.5%	4,52,918/-
					18,68,945		**32,40,893/-**

वर्ष 2013-14

क्रं सं	वस्तु का नाम	धारा	बिक्री की धनराशि	आरोपित कर की दर	आरोपित कर	अन्तरीय कर की दर (%)	आरोपणीय राशि (रू में)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	एल्युमिनियम कम्पोजिट पैनल	25(7)	2,54,24,408	5%	12,71,220	13.5-5=8.5%	21,61,075
		25(7)	56,62,82,011	5%	2,83,14,101	13.5-5=8.5%	4,81,33,971
					2,95,85,321		**5,02,95,046/-**

भाग 2(ख)

प्रस्तर स-02 अर्थदण्ड का अनारोपन ` 0.68 लाख।

उत्तराखंड मूल्यवर्धित कर अधिनियम 2005 की धारा-58(1)(vii) के अंतर्गत किसी व्योवाहरी ने युक्ति – युक्त कारण के बिना अधिनियम के उपबंधो के अधीन देय कर अनुमन्य समय के भीतर जमा नहीं किया है तो वह देय कर का कम से कम 10% किन्तु अधिक से अधिक 25% यदि कर 10 हज़ार रूपए तक हो और देय कर का 50% यदि कर 10 हजार रूपए से अधिक हो का दायी होगा|

कार्यालय डिप्टी कमिश्नर (क. नि.) –III राज्य कर, रुड़की के अभिलेखों की नमूना लेखापरीक्षा जाँच मैं पाया गया कि 01 व्यापारी द्वारा (विवरण संलग्नक) द्वारा विभिन माहों में देय कर की कुल राशि ` 6,83,010/- को विलंब से जमा किया गया था| (विवरण संलगन)

अत: विलम्ब से जमा कर की राशि पर अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत न्यूनतम 10% की दर से नियामानुसार ` 68,301 (` 6,83,010x10%) का अर्थदण्ड आरोपित नहीं किया गया था|

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर विभाग द्वारा जांचोपरांत कार्यवाही का आश्वासन दिया गया जिसकी सम्प्रेक्षा में प्रतीक्षा रहेगी|

प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में सुधारात्मक कार्यवाही हेतु लाया गया जिसकी सम्प्रेक्षा में प्रतीक्षा रहेगी|

क्र स.	व्योव्हारी का नाम / टिन स.	कर निर्धारण वर्ष	माह	कर जमा करने की तिथि	कर की धनराशि `	आरोपनीय अर्थदण्ड `
1.	**सर्वश्री पी०एस०जी० फार्मा, रुड़की**	2013-14	04/2013	27.05.2013	125377	12537.7
			08/2013	27.09.2013	107444	10744.4
			08/2013	27.09.2013	945	94.5
			10/2013	29.11.2013	120511	12051.1
			10/2013	29.11.2013	1340	134.0
			11/2013	28.12.2013	102435	10243.5
			01/2014	28.02.2014	124391	12439.1
			01/2014	28.02.2014	895	89.5
			02/2014	28.03.2014	99672	9967.2
Total					**6,83,010**	**68,301**

भाग-III

राजस्व से संबंधित विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण :

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	भाग-II 'क' प्रस्तर संख्या	भाग-II 'ख' प्रस्तर संख्या	सम्पूरक नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी
CT/62/2017-18	01	01	-

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्याः

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	प्रस्तर संख्या भाग-2 अ	प्रस्तर संख्या भाग-2 ब	अनुपालन आख्या	
CT/62/2017-18				

<u>भाग-IV</u>

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

(1) राजस्व से संबंधित इकाई द्वारा **निष्पादित अच्छे कार्य -टिप्पणी शून्य**

(2) व्यय से संबंधित इकाई द्वारा **निष्पादित अच्छे कार्य -टिप्पणी शून्य**

भाग-V

<u>आभार</u>

1. कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अभिलेख एवं सूचनांए उपलब्ध कराने हेतु **कार्यालय डिप्टी कमिश्नर (क0नि0)-III, राज्य कर, रूडकी** तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है तथापि लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये: शून्य
2. **सतत् अनियमितताएः**
   टिप्पणी- शून्य

3. **लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा कार्यालयाध्यक्ष का कार्यभार वहन किया गया**

क्रम सं0	नाम	पदनाम
1	श्री प्रेम प्रकाश शुक्ला	उपायुक्त (क0नि0)-3 राज्य कर, रूड़की

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति **कार्यालय डिप्टी कमिश्नर (क0नि0)-III, राज्य कर, रूडकी** को इस आशय से प्रेषित कर दी जायेगी कि अनुपालन आ ख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे वरिष्ठ उप महालेखाकार/उप महालेखाकार (राजस्व क्षेत्र) को प्रेषित कर दी जाए।

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी/राजस्व क्षेत्र